छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 29,1946)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास), भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) पटल पर रखेंगे।

(2) श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 10–64/2009/खाद्य/29–2, दिनांक 1 सितम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम 9 के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023–24 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री ओ. पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार गुड्स एंड सर्विसिस टैक्स नेटवर्क (एक सरकारी उद्यम) की वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, दवा खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री राजेश मूणत, सदस्य, प्रदेश में सहकारी गृह निर्माण समितियों में रहने वाले निवासियों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के लिये शुल्क की मांग किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, उमेश पटेल, श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, प्रदेश के विभिन्न ग्रामों में फर्जी कंपनियों द्वारा महिलाओं से ठगी किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

(4) श्री राजेश मूणत, सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा रायपुर नगर में निर्मित विभिन्न कालोनियों को फ्री होल्ड करने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्री राजेश मूणत, सदस्य, प्रदेश में रिएजेंट खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) श्री इन्द्रशाह मंडावी, सदस्य, वन विभाग में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत शासकीय सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, सदस्य, सी.जी.एम.एस.सी. द्वारा रिएजेंट निविदा में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री विक्रम मंडावी, सदस्य, जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद कांड होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, राजेश अग्रवाल, श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, प्रदेश में हाथियों के आतंक से जनधन की हानि होने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में ऑन लाईन ठगी के मामलों में निरंतर वृद्धि होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, राजेश अग्रवाल, सदस्य, एन. आर. आई. कोटे से एम. बी. बी. एस. मेडिकल कॉलेज में प्रवेश में अनियमितता किये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में धर्मांतरण/ मतांतरण की घटना होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, विद्युत सब—स्टेशन में प्लेसमेंट एजेंसी की मनमानी किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्री राजेश अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में संचालित 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा को नवीन वाहनों के साथ पुनः संचालित किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) सर्वश्री राजेश अग्रवाल, रामकुमार टोप्पो, सदस्य, सूरजपुर जिले में डबल मर्डर की जांच नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 3

(16) श्री विक्रम मंडावी, सदस्य, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर अंतर्गत कुकर्दी (अमलडीहा) एनीकट निर्माण हेतु टेंडर में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सदस्य, सारंगढ़ जिले में धान खरीदी केन्द्र में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) श्री विक्रम मंडावी, सदस्य, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में सिविल सेवा नियम विपरीत एरियर्स राशि का भुगतान किये जाने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, नगर पालिका डोंगरगढ़ में सड़क डामरीकरण के टेंडर में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, जांजगीर–चांपा एवं सक्ती जिले के किसानों को खेती की सिंचाई हेतु पानी नहीं दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(21) श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, वन मंडल मरवाही अंतर्गत मनरेगा से स्वीकृत कार्यों में अनियमितता के दोषी अधिकारी, कर्मचारियों पर कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) श्री अनुज शर्मा, सदस्य, जायसवाल निको प्लांट सिलतरा द्वारा ग्राम गिरौद में अवैध रूप से भूमि पर कब्जा किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) श्री रोहित साहू, सदस्य, जिला गरियाबंद में कृषि महाविद्यालय संचालन हेतु भवन निर्माण नहीं किये जाने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(24) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, प्रदेश में डायल 112 अत्यावश्यक सेवा के संचालन में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(26) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा क्षेत्र अकलतरा में महिला चिकित्सक पदस्थ नहीं होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(27) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, जांजगीर चांपा जिले में अवैध शराब का बिक्री होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(28) श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, वन मंडल रायपुर में व्याप्त अनियमितता किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 4

(29) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, जिला राजनांदगांव अंतर्गत प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सड़क विकास योजना में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(30) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य, बिलासपुर जिला अंतर्गत एन.टी.पी.सी. सीपत में ओवरलोड राखड़ परिवहन से राजस्व नुकसान होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(31) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य, प्रदेश में संचालित छात्रावास आश्रमों में व्याप्त अव्यवस्था होने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(32) श्री रामकुमार टोप्पो, सदस्य, विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत अपराधियों पर कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(33) श्री विक्रम मंडावी, सदस्य, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा किताबों की छपाई में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(34) डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, अनुसूचित क्षेत्र बस्तर की डंकिनी और शंखिनी नदियों का जल प्रदूषित होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(35) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, प्रदेश में माईक्रो फाईनेंस कंपनियों द्वारा महिलाओं को लोन दिलाये जाने के नाम पर ठगी किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(36) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, महासमुन्द जिले के किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(37) श्री विक्रम मंडावी, सदस्य, दंतेवाड़ा जिले में आदिवासियों की भूमि की फर्जी तरीके से खरीदी बिक्री किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(38) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना /मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा निर्मित सड़कों का हालत जर्जर होने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(39) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, महासमुंद जिले के घोरघाटी, छिर्रापाली, कालीदरहा जलाशय निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(40) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, महासमुंद जिले स्थित करणी कृपा पॉवर कम्पनी लिमिटेड द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(41) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, जिला बिलासपुर अंतर्गत स्वामी आत्मानंद स्कूलों में सामग्री खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(42) श्री ओंकार साहू, सदस्य, प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी होने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(43) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, बिलासपुर जिले में गुणवत्ता विहीन भवन निर्माण किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 5

(44) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, जिला बिलासपुर अंतर्गत अवैध तरीके से अहाता का संचालन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(45) श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य, कोटा विधानसभा क्षेत्र के धान उपार्जन केन्द्र में व्याप्त अव्यवस्था की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(46) श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य, बिलासपुर जिले में बीज एवं कृषि विकास निगम में पंजीकृत कृषकों का धान सेवा सहकारी समिति द्वारा नहीं खरीदे जाने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(47) श्री ललित चन्द्राकर, सदस्य, भारत माला परियोजना (दुर्ग–आरंग) की लंबित मुआवजों की राशि नहीं दिये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(48) श्री इन्द्र साव, सदस्य, भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब, जुआ, सट्टा, नशीले पदार्थ का अवैध संचालन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(49) श्री इन्द्र साव, सदस्य, भाटापारा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(50) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, प्रदेश के स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापना नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(51) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, पुलिस अभिरक्षा में युवक के साथ मारपीट किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(52) श्री भूपेश बघेल, सदस्य, प्रदेश में "कृषक उन्नति योजना" का लाभ कृषकों को नहीं मिलने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(53) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य, मस्तुरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत धान खरीदी केन्द्रों में धान बिक्री करने में किसानों को हो रही समस्या की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(54) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य, जिला कांकेर अंतर्गत किसानों को उनके जमीन व वनोपज के बदले मुआवजा व रोजगार के संबंध की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(55) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य, भानुप्रतापपुर जिला अंतर्गत केंवटी लेम्पस में किसानों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(56) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में निर्मित सड़क मार्ग पर ओवरलोड वाहनों के परिचालन से सड़कें क्षतिग्रस्त होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(57) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, सक्ती जिले के बच्चों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं दिये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 6

(58) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, सक्ती जिले के अंतर्गत शासकीय एवं अशासकीय आदिवासी भूमि की अवैध खरीदी बिक्री किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(59) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, सदस्य, कोरबा जिला में संचालित फ्लोरा मैक्स कंपनी एवं अन्य माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा महिलाओं से ठगी किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अमर अग्रवाल, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चतुर्थ एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगपुरा से खजरी तक मार्ग की मरम्मत एवं नवीनीकरण करने,

(2) श्री अनुज शर्मा, सदस्य, धरसींवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरौदा में हाई स्कूल में अहाता निर्माण करने,

(3) श्री ललित चंद्राकर, सदस्य, दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

- (i) ग्राम पीपरछेड़ी में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
- (ii) ग्राम पुरई में चेक डेम निर्माण करने,
- (iii) ग्राम पीपरछेड़ी में बुधानी नाले पर पुल–पुलिया निर्माण करने,

(4) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, जिला–बस्तर अंतर्गत –

- (i) ग्राम बागमोहलाई–2 के बाग सोला के पास पेटफुली नदी पर स्टापडेम कम काजवे निर्माण करने,
- (ii) ग्राम पण्डानार में करपावण्ड रोड से नेगानार तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,

(5) सुश्री लता उसेण्डी, सदस्य, जिला–कोण्डागांव अंतर्गत –

- (i) ग्राम पल्ली में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
- (ii) ग्राम बवई में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
- (iii) ग्राम बफना में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
- (iv) ग्राम अरंगुला से कलीबेड़ा तक सड़क निर्माण करने,
- (v) ग्राम कुलझर के मोकापारा बेड़ा में पुलिया एवं सड़क निर्माण करने,
- (vi) ग्राम भाटगांव से बालोण्ड तक सड़क निर्माण करने,

क्रमशः 7

(6) श्री ओंकार साहू, सदस्य, धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भोयना में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(7) श्रीमती अम्बिका मरकाम, सदस्य, सिहावा विधान सभा अंतर्गत –

(i) ग्राम घठुला में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने तथा

(ii) ग्राम गट्टासिल्ली में प्री–मेट्रिक बालक छात्रावास को 20 सीटर से 50 सीटर में उन्नयन करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

6. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

30 मिनट (1) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''विधान सभा क्षेत्र मुंगेली में शक्कर कारखाना प्रारंभ किया जाये।''

30 मिनट (2) श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि "डेंगू एवं मलेरिया से होने वाली मौतों को प्राकृतिक आपदा क्षति में शामिल कर मुआवजा प्रदान किया जाये।''

30 मिनट (3) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''छत्तीसगढ़ में स्थापित पोहा उद्योग पर मंडी शुल्क 2 रूपये प्रति सैकड़ा के स्थान पर 1 प्रतिशत तथा उक्त उद्योग को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त किया जाये।''

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 19 दिसम्बर, 2024